उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-71/2018/1694/92-2-2018-58जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 05 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के कार्यो से संबंधित सूचना न उपलब्ध कराने, शासन तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की लगातार अवहेलना में संलिप्त रहने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-42/2016/1512/92-2-16-58जांच/2016 दिनांक 08-08-2016 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-बुलंदशहर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री हसनैन अहमद को मुख्यालय (कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता) से सम्बद्व किया गया। उक्त निलम्बन आदेश दिनांक 08-08-2016 के विरूद्व श्री हसनैन अहमद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-19476/एसबी0/2016 श्री हसनैन अहमद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दि0 31-08-2016 में उक्त निलम्बन को स्थगित कर दिया गया था।

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31-08-2016 के अनुपालन में श्री हसनैन अहमद अधिशासी अभियंता की बहाली तथा तैनाती के मध्य की अवधि दिनांक 01-09-2016 से 16-12-2016 तक के वेतन भुगतान के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-जी-370/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/18-19 दिनांक 11-06-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 (4) के मूल नियम-9(6) बी(iii) के अंतर्निहित व्यवस्था के अनुसार उक्त अवधि दिनांक 01-09-2016 से 16-12-2016 को बाध्य प्रतीक्षा काल की अवधि मानते हुये उक्त अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-71/2018/1694(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।